न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 114 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 327

1. मांगीलाल पुत्र श्री जगदीश जाति बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री सुलतान जाति बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।
2. दौलतराम पुत्र श्री जगदीश जाति बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।
3. भानीराम पुत्र श्री सुलतान जाति बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार रेवन्यू रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 15.10.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधि. प्रार्थी।
2. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 3
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 1—2।

—: निर्णय :— दिनांक :—19.05.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के दादा श्री सुलतान पुत्र श्री रताना कौम बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. के नाम से जमाबंदी संवत 2013—2016 चक 1 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 43 मु. नं. 18 पं.नं. 194 / 367 के कि.नं. 1 ता 22 में 20.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हुई शेष इस रकबा में कि.नं. 23 ता 25 की 2.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि वादी की दादी गौरा पत्नी सुलतान के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रार्थी के दादा री सुल्तान व दादी गौरा के देहान्त के पश्चात उनके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अलावा प्रार्थी की भुआ रोशनी व रूकमा पुत्रीयां सुल्तान के नाम दर्ज हुई तथा प्रार्थी की भूआ रोशनी व रूकमा द्वारा उपरोक्त भूमि में अपना—अपना विरास्तन हक अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पक्ष में छोड़ दिया इस प्रकार उक्त विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का बहिस्सा बराबर—बराबर का हक हकूक नाम रहा जो जमाबंदी में दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076—2079 चक 1 एन.जेड.पी.बी. के खाता संख्या 15 / 11 मु.नं. 194 / 367 के कि.नं. 23 / 1 में 0.190, 24 / 1 मे 0.190, 25 / 1 में 0.189, कुल 0.569 है. अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व चाचा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज हैं इसी तरह वर्तमान जमाबंदी चक 1 एन.जेड.पी. बी. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी 2076—2079 खतौनी संख्या 16 / 12 मु.नं. 18 पं.नं. 194 / 367 के कि.नं. 1 / 2 में 0.202, 2 [illegible] 0.253, 10 / 2 में 0.203, 11 / 3 में 0.028, 12 / 1 में 0.034, 13 / 1 [illegible] 0.034 [illegible] 4 / 1 में 0.034, 15 / 1 में 0.034 है. कुल 2.593 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] दर्ज है। इसी तरह वर्तमान जमाबंदी चक 1 एन.जे[illegible] तहसील [illegible] की जामबंदी संवत 2076—2079 खतौनी संख्या 33 / 2[illegible] के कि.[illegible] 0.174, 12 / 2 में 0.219, 14 / 2 में 0.219, 15 / 2 में 0.219, 15 / 2 में 0.219, 16 / 2 में 0.244, 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ता 19 प्रत्येक में 0.253, 20/2 में 0.203, 21/3 में 0.138, 22/2 में 0.190, कुल 2.584 है. अनकमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का भाई है व अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी के चाचा है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त चक 1 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 15 व 16 की भूमि तादादी 2.878 है. अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी के दादा श्री सुल्तान व दादी गौरा के देहान्त के बाद विरास्तन दर्ज होने के कारण इस भूमि में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 का अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर का हक है तथा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है इसी अनुसार प्रार्थी को 1/3 हिस्सा में 0.959 है. अनकमाण्ड हिस्सा में आती है जिस भूमि का प्रार्थी अपने आपको खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त तमाम विवादित5 भूमि में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप से काश्त करते है तथा प्रार्थी ने इस भूमि के कि.नं. 25 मे बने क्वाटर के साथ टयूबैल, दो दुकान बनाकर सोलर सैट स्थापित कर रखा है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी अपने 1/3 हिस्सा को अपने नाम करवाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 09.10.2024 को बमुकाम 1 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर में सम्पर्क किया तथा अप्रार्थी सं. 1 को कहा कि वे प्रार्थी के पैतृक हिस्सा की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दे, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्टतया इन्कार कर दिया तथा धमकी दी की वह उक्त तमाम भूमि को आगे हस्तान्तरण करेगा तथा यह भी कहा कि उसने दादा श्री सुल्तान से हिस्सा में आई भूमि का आपकों मुगालता में रखकर अप्रार्थी सं. 3 के साथ भूमि का विभाजन कर लिया है तथा अच्छी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को दे दी है तथ इसी तरह उसकी दादी गौरा से विरास्तन आइ भूमि भी अतिशीघ्र अप्रार्थी संख्या 2 अथवा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम करवाएगा लेकिन प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देगा आपकों जो कुछ करना हो कर लो, बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है। अब अप्रार्थीगण उक्त हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति में से प्रार्थी का हिस्सा खत्म करने की नियत से आपस में मिलीभगती करके उक्त तमाम भूमि को किसी अन्य के नाम बेचान करने की फिराक में है तथा अपनपे इस नापाक इरादा में कामयाब होने के लिए उन्होने अपने साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ मिलाकर भूमि को हस्तान्तरण करने की योजना बना रहे है प्रार्थी अपने साथ मौतबीर व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थीगण को पचायत करके समझाया कि वे प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की जमीन व इस भूमि के कि.नं. 25 में लगे ट्यूबैल दुकाने व सोलर सैट उसे देकर नाम करवा देवे। तथा घर में ऐसा विवाद ना करो जिससें प्रार्थी का पैदायशी हक हकूक समाप्त होता हो। पंचायत के समक्ष सभी अप्रार्थीगण ने प्रथमतया टालमटोल करने के बाद ऐसा करने साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने भी धमकी दी कि वह विवादित भूमि से अतिशीघ्र प्रार्थी को बेदखल कर विभाजन वाली भूमि तथा किला नम्बर 25 पर अपना एकल कब्जा करेगा। प्रार्थी को हिस्सा नहीं देगा। उक्त भूमि पैतृक है प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के संयुक्त कब्जा में है जिस भूमि में वादी अच्छी से अच्छी व खराब भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है विवादित भूमि आज रोज भी संयुक्त कब्जा काश्त में है विवादित भूमि [illegible] दिशा में कि.नं. 21 ता 25 में चिपती बाजूवाला से सलेमपुरा डामर रोड [illegible] प्रार्थी ने वाहमी तौर पर मिले कि.नं. 25 में टयूबैल, दो दुकान व सोलर [illegible] स्थापित कर रखा है इसिलए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के [illegible] विवादित भूमि को किसी अन्य को रहन बैय [illegible] तथा भूमि का कब्जा अन्यत्र सुपुर्द कर देते है तथा भूमि का कब्ज अन्यत्र सुपुर्द कर देते है तो इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रार्थी का पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा तथा ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यकांन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकर फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक 1 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के तीनों खता संख्या 15/11 व 33/23 व 16/12 मु.नं. 18 पं.नं. 194/367 की 5.755 है. अनकमाण्ड भूमि के किसी भू-भाग को रहन बैय व हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थी को कि.नं. 25 में बने ट्यूबैल, दो दुकाने व सोलर सैट से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससें कि प्रार्थी अपने विरास्तन हक हकूक से वंचित होता हो।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्यां 3 की ओर से गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चक 1 एन.जेड.पी.बी. के खाता संख्या 15/11 मु.नं. 18 पं.नं. 194/367 के कि.नं. 23 ता 25 की 0.569 है. भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 3 भानीराम व अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र है कई वर्ष पूर्व खाता विभाजन हो चुका है खाता संख्या 16/12 के मु. नं. 18 की 2.593 है. रकबा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता जगदीश के नाम से अलग खाता हैं प्रार्थी अपने पिता से हिस्सा मांग सकता हैं। जबकि प्रार्थी व उसके पिता अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश गांव बाजूवाला में एक साथ निवास कर रहे है मै अप्रार्थी सं. 3 भानीराम कि.नं. 25 में मकान बनाकर रह रह हूँ तथा दुकाने बना रखी है तथा कि.नं. 25 में टयूबैल को चलाने के लिए सोलर सेट स्थापित कर रखा है जस पर विभाग द्वारा अनुदान पर मिला है उस पर अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से ही बंटवारा अनुसार मेरे नाम सोलर सेट पर अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरे पुत्र रूपराम की पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु मु.नं. 18 के कि.नं. 25 में स्वीकृत हुआ है जिसकी एक किशत प्रार्थी के पुत्र को प्राप्त हो चुकी है नींव भरी जा चुकी है तथा निर्माण शुरू कर रखा है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से ही मकान स्वीकृत हुये है सहमति बाबत् शपथ पत्र दिया हुआ है मुझ अप्रार्थी के नाम बिजली कनेक्शन इसी मुरब्बा में हुआ है इस प्रकार में अप्रार्थी कई वर्षों से अपने परिवार के साथ इस रकबा मे निवास कर रहा हूं तथा काश्त कर रहा हूं मात्र लालचवश प्रार्थी मिथ्या आधारों पर अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधिविरूद्व होने तथा बिना किसी आधारों के होने से काबिल खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 3 भानीराम के चक 1 एनजेडपी बी के मु.नं. 18 के कि.नं. 25 की 0.189 है. तथा कि.नं. 24 में 0.095 है. कि.नं. 25 के कि.नं. 25 के साथ चिपता हुआ कुल 0.284 है. अनकमाण्ड रकबा पर कब्जा चला आ रहा है प्रथमष्ट्या मामला मुझ अप्रार्थी भानीराम का बनता है सुविध का सन्तुलन में मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है अगर प्रार्थी को स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी भानीराम को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका नुकसान मुद्राओं मे आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाव प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। कि अप्रार्थी संख्या 3 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

दिनांक 07.09.2024 को प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 के साथ संयुक्त खाते में चक 1 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 15/11 के पं.नं. 194/367 के मु.नं. 18 के कि.नं. 23/1 की 0.190, 24/1 की 0.190, 25/1 की 0.189 इस प्रकार कुल 0.569 है. बारानी कृषि भूमि खातेदारी है जो हमारे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त भूमि के कि.नं. 25/1 में मेरी पुत्रवधु व मेरी भतीजी पुत्रवधु श्रीमति सरोज पत्नी श्री रूपराम जाति बावरी साकिन 1 एन.जेड.पी. बी. तहसील राययसिंहनगर अपना कच्चा मकान बना कर निवास करता है उक्त भूमि में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि बाबत ग्राम पंचायत को अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी के पिता द्वारा सहमति भी दी गई है जो 04.07.2024 को सोलर सेट लगाया गया है वह भी अप्रार्थी सं. 3 के नाम आपसी सहमति से राज्य सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया गया है उक्त भूमि पर निर्मित मकानों में विद्युत का कनेक्शन लिया गया है वह भी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी किया गया है प्रार्थी द्वारा हमे परेशान करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है उक्त विवादित तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञाना जारी करने का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता है जिससें प्रार्थी को कोई नुकसान होता है अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीग को न होकर अप्रार्थीगण को होगी। उक्त विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अवगत करवाया है कि कि.नं. 24/0.095, 25/0.189, कुल 0.284 है. भूमि भानीराम पुत्र सुल्तान के कब्जा काश्त में है जिस पर कि.नं. 25 में दो दुकाने व ट्यूबैल मय सौलर सैट लगा है प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में सहमति दिनांक 07.09.2024 को दी गई है जो अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अपूणीय क्षति, सुविधा का संतुलन को सिद्व करने में प्रार्थी असफल रहा है। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/ खारिज किया जाना न्यायाचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.10.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.05.2025 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner